उत्तराखण्ड में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2022

1. **पृष्ठभूमि और दृष्टिः**

उत्तराखण्ड सरकार राज्य में एकीकृत औद्योगिक पार्कों के विकास के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के लिए निजी भूमि के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। औद्योगिक पार्क आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं और राज्य में मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन की दिशा में भारी योगदान देते हैं।

राज्य सरकार त्वरित औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि की कमी का सामना कर रही है। उत्तराखण्ड में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निजी प्रवर्तकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड राज्य में विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्कों, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों, एकीकृत औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड षासन के शासनादेश संख्या 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा षासनादेष संख्या 940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 09 नवम्बर, 2004 से निजी क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए नीति प्रख्यापित की गयी थी। साथ ही अधिसूचना संख्या 488/VII-II/08/08 द्वारा अधिसूचित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अंतर्गत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा/ आवष्यकता 2 एकड़ निर्धारित की है। इसमें औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, कनेक्टिंग रोड और ड्रेनेज सिस्टम के विकास के लिए किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के प्रवर्तकों को अनुदान के रूप में किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में 3113.30 एकड़ भूमि पर कुल 49 निजी औद्योगिक आस्थानों को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक के अचल पूंजी निवेश की 26 मेगा परियोजनाओं के लिए 446.46 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गयी है।

वर्ष 2004 में प्रख्यापित नीति में निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं पर कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रख्यापित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक आस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर होने वाले व्यय पर वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया

था।

उत्तराखण्ड में निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना हेतु नीति–2022 निम्नानुसार प्रस्तावित की जा रही है:

2. **उद्देश्य:**

i. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देकर राज्य में निवेश आकर्षित करना।

ii. उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूखण्डों/भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

iii. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

iv. राज्य में मिनी/बृहत औद्योगिक आस्थानों एवं क्षेत्र विशिष्ट पार्कों की स्थापना।

v. औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करके संतुलित और नियोजित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।

3. **परिभाशा:**

i. **'औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र'** का तात्पर्य उस आस्थान/क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ऐसा आस्थान/क्षेत्र घोशित किया जाय।

ii. **'सुविधा'** के अन्तर्गत सड़क, जल–सम्भरण, सड़क पर रौषनी, विद्युत सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिश्ट पदार्थ और कूड़ा–करकट का संग्रह, षोधन और निस्तारण तथा ऐसा अन्य सामुदायिक कार्य, सेवा या सुविधा है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिश्ट करे।

iii. **'अध्यासी** (Occupier)* का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और अध्यासी के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेषिती (Legal Heirer & Assigns) भी है।

iv. **'अन्तरिती** (Transferee)* का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और अन्तरिती के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेषिती (Legal Heirer & Assigns) भी है।

v. षब्द और पदावलि **'भवन', 'विकास', 'भवन के परिनिर्माण'** और **'भूमि'** के वही अर्थ होंगे जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 में परिभाशित किया गया है।

vi. '**औद्योगिक आस्थान की व्यवसायिक गतिविधि की शुरुआत**' का अर्थ है, जिस तिथि को प्रवर्तक द्वारा व्यवसायिक पैमाने पर आस्थान में अवस्थापना सुविधाओं के संस्थापन के पष्चात औद्योगिक भूखण्डों का वाणिज्यिक रूप से विपणन प्रारम्भ किया गया हो, जिसके लिए प्रवर्तक को अधिकृत या अनुमोदित किया गया है।

vii. **"औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना"** का अर्थ सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विनियमन की तारीख से है।

viii. **"विभाग"** का अर्थ है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड षासन।

ix. **"प्राधिकृत समिति"** से तात्पर्य है, उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंषोधित– 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021) में निर्दिश्ट अधिकार प्राप्त समिति।

x. **"मैदानी क्षेत्र"** का अर्थ है उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंषोधित– 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021) के अनुसार श्रेणी सी और श्रेणी डी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

xi. **"पर्वतीय क्षेत्र"** का अर्थ है उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंषोधित– 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021) के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–बी+ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र/जनपद।

xii. **"इण्डस्ट्रियल पार्क/इस्टेट"** का अर्थ है एक ऐसी औद्योगिक सम्पदा, जिसका विकास औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए किसी अच्छी या सेवा के निर्माण के लिए किया गया हो और जिसमें विकसित भूखण्ड, आंतरिक सड़कें, जल वितरण सुविधाएं, सीवेज संग्रह और उपचार, बिजली वितरण, संचार सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं हों।

xiii. **"औद्योगिक इकाई"** का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित इकाई के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा सेवा क्षेत्र इकाई, जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।

xiv. '**मिनी औद्योगिक आस्थान**' का तात्पर्य प्रदेष के पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जहां पर कम से कम 5 स्वतन्त्र सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित हों।

xvi. **"नीति"** का अर्थ **निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति–2022** है।

xvii. **''सैक्टर स्पेसिफिक इण्डस्ट्रियल पार्क"** का तात्पर्य सैक्टर विषेश के उद्योगों के लिए चिन्हित विषिश्ट पार्क, यथाः

a) परिधान फाइबर और कपड़ा पार्क

b) आईटी पार्क/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

c) जेम एंड ज्वेलरी पार्क

d) फूड पार्क

e) बायो–टैक

f) आयुश और वेलनेस पार्क

g) ऑटोमोबाइल अनुशंगी उद्योग पार्क

h) अरोमा पार्क

i) एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क

j) कोई अन्य विषिश्ट सैक्टर पार्क

4. **नीति की वैधता अवधिः**

i. यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी और आगामी पांच वर्श तक प्रभावी रहेगी।

ii. राज्य सरकार इस नीति में किसी भी समय मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदन पर आवष्यकतानुसार संषोधन अथवा परिवर्द्धन कर सकती है।

iii. इस नीति के प्राविधानों में किसी भी प्रकार की षिथिलता प्रदान किये जाने का अधिकार षासन में निहित रहेगा।

5. **पात्रता एवं प्रक्रियाः**

i. निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र को, किसी व्यक्ति, प्रवर्तक/साझेदारी फर्म/एलएलपी/ कम्पनी या कम्पनी अधिनियम/सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

ii. औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रमोटर को भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनुज्ञां/ अनापत्ति तथा भूमि के अर्जन हेतु उत्तराखण्ड जमींदारी विनाष और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 (4)(3)(क)(ट) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने में विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

iii. निम्नलिखित प्रतिभागियों को सहायता प्रदान की जाएगीः

a) मैन्युफैक्चरिंग/इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाईयां

b) एंकर इन्वेस्टर्स

c) बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सदस्यता वाले उद्योग संघ

d) उद्योगों का समूह

iv. **परियोजना भूमिः**

a) निवेशक/प्रवर्तक अपने श्रोतों से भूमि की व्यवस्था स्वयं करेगा।

b) यदि निवेशक सिडकुल से भूमि प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसे मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 के प्राविधानानुसार मौजूदा भूमि बैंक से रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

c) सिडकुल से भूमि प्राप्त करने के लिए 90 वर्श की दीर्घ कालिक लीज का निश्पादन करना होगा।

d) निवेशक/प्रवर्तक, व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उसी नियम और शर्तों पर भूमि को उप–पट्टे पर देगा, जैसा कि सिडकुल अपने स्वयं के औद्योगिक आस्थान के लिए करता है।

v. निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम **30 एकड़** और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम **2 एकड़** या इससे अधिक भूमि होनी आवष्यक है।

vi. निजी क्षेत्र में आईटी पार्क/बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना/विनियमन के लिए 5 एकड़ भूमि में न्यूनतम 18,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होना आवश्यक है, जिसमें 30 प्रतिशत अनुमेय भूमि कवरेज और 2.0 मंजिल क्षेत्र अनुपात होना चाहिए।

vii. प्रस्तावित भूमि पूरी तरह से प्रवर्तक के कब्जे में होनी चाहिए और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए।

viii. निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु सीडा के मानदण्डों का पालन करना होगा।

ix. **सिडकुल ब्रांड छवि का उपयोग 7.5ः के ब्रांड इक्विटी शुल्क के साथ किया जा सकता है। (सिडकुल द्वारा इसमें से गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 2ः और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5.5ः का उपयोग किया जाएगा)।**

x. प्रवर्तक/संगठन/कम्पनी द्वारा औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदन/स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा स्वयं प्राप्त की जायेगी, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के प्राविधानों के तहत अनुमोदन/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

xi. औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों के विकास हेतु General Industrial Development Control Regulations- 2022@Unified Building Bye-laws में भवन निर्माण एवं भूमि उपविभाजन तथा औद्योगिक आस्थानों के लिए निर्धारित भू–उपयोग मानकों का अनुपालन किया जायेगा, जिसके लिए उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA), नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

xii. ऐसे औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की देख–रेख, नालियों, आन्तरिक सड़कों के रख–रखाव, प्रकाष व्यवस्था एवं अन्य नागरिक सुविधायें प्रदान करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आस्थान की प्रवर्तक संस्था/कम्पनी/स्वामी की होगी।

xiii. निजी औद्योगिक आस्थान में औद्योगिक भूखण्डों की दरों का निर्धारण एवं विपणन स्वयं आस्थान के प्रवर्तक/निदेषक मण्डल द्वारा किया जायेगा। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

xiv. आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा आवंटियों के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसमें आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली सभी प्राथमिक अवस्थापना सुविधाओं, भूखण्ड की दरों, रख–रखाव आदि के लिए प्रतिवर्श ली जाने वाली धनराषि तथा षर्तों के बारे में स्पश्ट रूप से विवरण दिया जाना आवष्यक होगा।

xv. किसी बृहत औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की न्यूनतम 10/15 स्वतंत्र विनिर्माणक इकाइयां तथा मिनी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र (पर्वतीय) में न्यूनतम 5 स्वतंत्र विनिर्माणक इकाइयां स्थापित करनी आवश्यक होंगी। आईटी पार्क/बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए यह सीमा न्यूनतम 5 इकाई की होगी।

xvi. प्रवर्तक द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र में सीडा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निष्चित सीमा तक भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया जाना आवष्यक होगा।

xvii. निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन/विनियमन की प्रक्रिया दो चरणों की होगी। प्रथम चरण में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के इच्छुक उद्यमी/संस्था/कंपनी के आवेदन पर ही सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी। दूसरे चरण में संपत्ति/क्षेत्र के लिए अधिग्रहीत भूमि में सीडा द्वारा अनुमोदित ले–आउट योजना के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थापना के लिए जारी सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन किया गया है, आस्थान की औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

xviii. निजी औद्योगिक आस्थान, जैसे आंतरिक सड़कों, नालियों, आदि में बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव, मरम्मत और संचालन के लिए, निजी औद्योगिक आस्थान का प्रवर्तक/कम्पनी/संस्था अपने प्रस्ताव के साथ एक निश्चित राशि की बैंक गारंटी भी देगी ताकि यदि प्रवर्तक प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो विफलता के मामले में, इस बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जायेगा और इसका उपयोग औद्योगिक आस्थान के रखरखाव के लिए किया जायेगा।

xix. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त

करने के लिए प्रथम चरण में इच्छुक उद्यमी/संस्था/कंपनी अपने व्यवसायिक प्रोफाइल, वित्तीय स्थिति, डीपीआर, पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट, उपलब्ध विवरण सहित या चिन्हित भूमि पार्सल (खसरा–खतौनी), सजरा (प्रस्तावित लेआउट योजना/कुंजी योजना) और बैंक गारंटी आवेदन पत्र के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को उद्योग निदेशालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त आवेदन पर विभिन्न विभागों/नियामकों/एजेंसियों (यूकेपीसीबी, फायर, सीडा, यूपीसीएल आदि) का भी अभिमत लिया जायेगा। उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रस्तावों की जांच एवं संवीक्षा के बाद प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति के लिए अभिमत/संस्तुति सहित शासन को भेजा जायेगा। इसके लिए उद्योग निदेशालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

xx. सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के बाद, प्रमोटर को व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले औद्योगिक आस्थान के नियमन के लिए नोडल विभाग के माध्यम से सरकार को पुनः आवेदन करना होगा।

6. **निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं संस्थागत सुविधायें :**

उत्तराखण्ड षासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ–साथ संस्थागत सहायता के लिए नोडल एजेंसी और एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा। औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना एवं प्रारम्भ होने के बाद देय होगी। इस नीति/योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों को भारत सरकार और राज्य द्वारा संचालित योजना में से केवल एक ही स्रोत से एक ही बार में एक ही घटक पर लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

i. एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनुज्ञा/अनुमोदन आदि के लिए आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था।

ii. **स्व–सतत मरम्मत एवं रखरखावः** पार्क के बाहरी और आंतरिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आस्थान के प्रमोटर द्वारा संचालन और रखरखाव के लिए पूंजीगत व्यय कोष बनाया जाएगा। **भूखण्ड के विक्रय से प्रमोटर द्वारा एकत्र की गई राशि का 1ः इस फंड में एफडी के रूप में जमा किया जाएगा।** इस फिक्स्ड डिपोजिट के प्रबंधन और संचालन के लिए एक सोसाइटी/समिति (सोसाइटी एक्ट 1928 के तहत) का गठन किया जाएगा। समिति में प्रमोटर और आस्थान में स्थापित इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसी भी समय, फंड से अधिकतम 33ः का उपयोग बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जा सकेगा।

iii. **सिडकुल औद्योगिक अवसंरचना विकास कोष** (SIIDF):

a) **औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र तक पहुंच हेतु बाहरी बुनियादी ढांचे, जैसेः बिजली, पानी तथा सम्पर्क मार्ग आदि अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए रू. 100 करोड़ का प्रारम्भिक कोष बनाया जाएगा।**

b) SIIDF **के तहत रू. 100 करोड़ के इस कोष का प्रबंधन सिडकुल द्वारा एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जाएगा।**

iv. **बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादानः**

a) **सरकार किसी भी निजी क्षेत्र के निवेशक, व्यवसायिक संस्था आदि द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्कों/आस्थानों की अवसंरचना लागत के बिक्री योग्य क्षेत्र (रू. 250 प्रति वर्ग मीटर/अनुपात आधार पर) पर 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी।**

b) सरकार निम्नानुसार स्वीकृत पूंजीगत उपादान राशि जारी करेगीः

1) **परियोजना की 'सैद्धांतिक स्वीकृति' जारी होने के बाद स्वीकृत राशि का 50ः चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे (आन्तरिक सड़कों, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण, आस्थान के अन्दर विद्युत पोल लगाने तथा भूमि के समतलीकरण आदि) के निर्माण की शुरुआत के समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान आपसी बातचीत तथा परियोजना में दी गयी रूपरेखा के आधार पर दी जायेगीः**

i. प्रथम चरण – स्वीकृत उपादान का 25ः वितरण

ii. द्वितीय चरण – स्वीकृत उपादान का 50ः वितरण

iii. तृतीय चरण – स्वीकृत उपादान का 75ः वितरण

iv. चतुर्थ चरण – स्वीकृत उपादान का 100ः वितरण

2) **स्वीकृत अनुदान की शेष राशि (50ः) भू–खण्डों की बिक्री के अनुपात में आनुपातिक आधार पर देय होगी ख्1 (अनुदान राशि) : 2 (कुल बिक्री योग्य भूखण्ड),**

3) सभी अनुदान और विक्रय से प्राप्त आय निम्नलिखित वरीयता क्रम में शुल्क के साथ एस्क्रो खाते में जाएगी, यथाः विकास शुल्क, निजी विकासकर्ता का लाभ।

v. **स्टाम्प शुल्क में छूटः** औद्योगिक आस्थान के निवेशक/प्रवर्तकों और आस्थान में स्थापित होने वाली इकाइयां, दोनों को भूखण्ड की खरीद में विक्रय विलेख के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क में 50ः की छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

vi. **ब्याज प्रतिपूर्ति सहायताः** नीति के तहत स्थापित होने वाली औद्योगिक संपदा को व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ होने की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सावधि ऋणों पर देय ब्याज में 5 प्रतिशत की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये तक।

vii. **सी0ई0टी0पी0 की स्थापना पर उपादानः** संयुक्त उत्प्रवाह षुद्धिकरण संयंत्र (CETP) की स्थापना हेतु संयंत्र पर किये गये अचल पूंजी निवेष का 40 प्रतिषत, अधिकतम रू. 1 करोड़ तक का पूंजीगत उपादान।

viii. **सरकार द्वारा प्रदान की गई समस्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता तथा बाहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर किए जाने वाला व्यय (जैसेः आस्थान तक बिजली, पानी तथा पहुंच मार्ग आदि) प्रमोटर/निवेशक द्वारा किए गए कुल अचल पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगा।**

ix. इस नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंषोधित– 2016, 2018, 2019, 2020 व 2021)/बृहत औद्योगिक निवेष एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018/मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति–2021 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अर्हता के आधार पर अनुमन्य होगा।

नीति के क्रियान्वयन के लिए मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया एवं दिषा–निर्देष पृथक से प्रषासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

.....